THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Registered letters and registered articles being accountable articles are handled with care and speed. As per the rules such articles are handled separately duly entered in registered list and proper records of all such articles are kept at every point of their handling. Such mails are collected, transmitted, sorted and delivered without delay. However, instances of delay in delivery do occur and such cases are investigated and remedial actions taken. Delivery of registered articles are also monitored at various administrative levels.

(b) A number of steps have been taken to speed up the delivery of mails of all categories. In order to meet the requirements of different segments of customers Metro Channel, Rajdhani Channel and Green Channel have been started and a number of steps have been taken to strengthen and streamline the transmission and delivery of mails and enhancing reliability of the service. In fact, such mails have registered steady growth over the year.

(c) and (d) Government have taken following steps to tone up postal services;

(i) The operations involved in providing postal services to the public are constantly monitored to ensure proper performance.

(ii) Computerisation of registeration sorting work-in major mail offices has been done and more offices are being computerised.

(iii) Programme of modernisation of mail offices has been undertaken and 67 mail offices have already been modernised and more such offices are to be modernised in the successive years.

(iv) Rationalisation of mail processing by prioritised and segmented handling of mails of different categories according to their time sensitivity.

(v) Supply of mopeds to postmen serving in havier beats of selected post offices in major cities.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में वित्ताय अनियमितताएं

3730. **श्री रामगोपाल यादवः** क्या संचार मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या महानगर टेरीफोन निगम लिमिटेड में वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाना मना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भुगतान, निविदा आमंत्रित किए बिना या कार्य पूरे हुए बिना ही कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किसके आदेश से होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार अब तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में हुई/हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच नहीं करने के साथ-साथ इन अनियमितताओं में लिप्त पाए गए अधिकिरियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई जांच न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त राशि

3731. **श्री रामजी लाल: क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:

(क) पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क के रुप में कुल कितनी राशि एकत्र की गई तथा क्या यह राशि नई नीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एक मुश्त उत्पाद शुल्क लगाने की सरकार की नीति को देखते हुए काफी संख्या में कारखाने बंद होने के कगार पर हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल की गई साशि 47782 करोड़ रुपये थी। यह राशि वर्ष 1996-97 के दौरान वसूल की गी 44918 करोड़ रुपये की राशि से अधिक थी।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में कारखाने बंद होने के कगार पर हैं।

Rulrs/Rcgulations Regarding Promotion of Re-Empioyccs Ex-Servicemen in GIC

3732. SHRI SURYABHAN PAUL VAHADANE: Will the Minister of FINANCE be pleassed to state:

(a) whether DOP&T OM. No. 140231/ 90 Estt. (D) dated 21st May, 1991 as applicable to GIC and its subsidiaries in respect of promotion to the cadre of re-employed ex-servicemen;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether GIC or its subsidiaries have framed any rules egulations for giving weightage to past defence service rendered by them for promottion to Group C and D as applicable to ex-servicemen re-employed in banks;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether ex-servicemen in possession of Graduation Certificate under relevant rules of DOP&T re-employed in GIC and its subsidiaries are absorbed as Graduates and paid Graduation allowance; and

(f) if so, number of such persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HNANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) Office Memoranda issued by the Department of Personnel and Training are not ipso-facto applicable to public undertakings. However, Ministry of Finance has issued separate instructions covering various aspects of re-employed ex-servicemen in insurance industry.

(c) No, Sir.

(d) The GIC have reported that the proposal was examined and it was observed that such weightage would have disturbed the seniority of existing employees and was fraught with avoidable litigation and industrial unrest amongst the employees other than ex-servicemen.

(e) No. Sir.

(f) Does not arise.

घोटालों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3733. **श्री राम गोपाल यागव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न घोटालों शामिल पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, और वे बैंक में अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बार-बार मांग करने के बावजूद भी घोटालों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कोई जांच नहीं करायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त मामले के संदर्भ में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि जब कभी गंभीर चूकों का पता चलता है तो बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक के अनुसार धोखाधड़ी के सभी मामलों को जहां आवश्यक समझा गया, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेज दिया गया है और जहां कहीं आवश्यक हुआ है, अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों को संवेदनशील पदों से स्थानांतरित भी कर दिया गया है। सीबिआई ने सूचित किया है कि वर्ष 1995, 1996, 1997 और 1998 (30-4-1998 तक) के दौरान सीबीआई ने लंजाब नेशनल बैंक में हुई विभिन्न अनियमितताओं में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध 34 मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में से 8 मामलों में अब तक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और तीन मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

IMF Suggestion for full Convertibility of Rupee

3734. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the International Monetary Fund has formally suggested to